



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2011, शनिवार/कार्तिक 29—अग्रहायण 5, 1933  
No. 23] NEW DELHI, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2011, SATURDAY/KARTIKA 29—AGRAHAYANA 5, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

( रक्षा उत्पादन विभाग )

( क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय )

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2011

**का.नि.आ. 69.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन, महानिदेशालय, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और मुख्य नक्शानवीस भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उसका संबंध वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद से है, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' (वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 2005 और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, वैज्ञानिक सहायक श्रेणी-III, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है;

रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) और वैज्ञानिक सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) और वैज्ञानिक सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) [तत्कालीन वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद]	379* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये	चयन	लागू नहीं होता
	(7)			(8)	(9)
	लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

प्रोन्नति द्वारा

(11)

**प्रोन्नति :**

वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिप्लोमा या विज्ञान में डिग्री है ।

**टिप्पण 1 :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,

(11)

अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

संघ लोक सेवा से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. संबद्ध क्वालिटी आश्वासन के अपर महानिदेशक —अध्यक्ष
2. प्रशासनिक निदेशालय से संयुक्त निदेशक —सदस्य
3. संबद्ध विद्या से निदेशक —सदस्य
4. संबद्ध विद्या से भिन्न किसी विद्या से निदेशक —सदस्य
5. उप निदेशक (प्रशासन-10) —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक सहायक (तत्कालीन वैज्ञानिक सहायक, श्रेणी-II के पद)	635* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)
<b>आवश्यक :</b>	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से सुसंगत विज्ञान विषय में बैचलर डिग्री या सुसंगत विद्या में इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; और		
(ii) आयुध या गोला-बारूद या उपकरण या विस्फोटक या धातुकर्म या यांत्रिक इंजीनियरी या आटोमोबाइल इंजीनियरी या कपड़ा और वस्त्र या भेषज या रसायन या पेट्रोलियम उत्पाद या पेंट प्रौद्योगिकी या दूर-संचार या विद्युत प्रणाली या विद्युत या इलैक्ट्रॉनिकी या कंप्यूटर इंजीनियरी के क्वालिटी आश्वासन में दो वर्ष का अनुभव ।		
<b>टिप्पण 1 :</b> सही विषय या विद्या और अनुभव का क्षेत्र प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित किया जाएगा ।		
<b>टिप्पण 2 :</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्थित की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।		
<b>टिप्पण 3 :</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।		
(10)	(11)	
सीधी भर्ती द्वारा (कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती)	लागू नहीं होता	
(12)	(13)	
<b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ( सीधी भर्ती की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</b>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।	
1. संबद्ध क्वालिटी आश्वासन के अपर महानिदेशक	—अध्यक्ष	
2. प्रशासनिक निदेशालय से कोई संयुक्त निदेशक	—सदस्य	
3. संबद्ध विद्या से एक निदेशक या संयुक्त निदेशक	—सदस्य	
4. संबद्ध विद्या से भिन्न किसी विद्या से कोई निदेशक या संयुक्त निदेशक	—सदस्य	
5. उप निदेशक (प्रशासन-10)	—सदस्य	

[ फा. सं. ए/86320/आर.आर./वैज्ञानिक/डी.जी.क्यू.ए./प्रशासन-10/2331/डी. (क्यू ए)/2011 ]

सुभाष चंद, अवर सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE**  
**(Department of Defence Production)**  
**(Directorate General of Quality Assurance)**

New Delhi, the 16th November, 2011

**S.R.O. 69.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Director General, Quality Assurance, Senior Scientific Assistant and Chief Draughtsman Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Senior Scientific Assistant, the Department of Defence Production, Director General of Quality Assurance, Group 'B' (Scientific) posts Recruitment Rules, 2005 and the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Scientific Assistant Grade-III, Group 'C' post Recruitment Rules, 2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior

Technical Officer (Scientific) and Scientific Assistant, in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance namely :—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Junior Technical Officer (Scientific) and Scientific Assistant Group 'B' posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or scale of pay.**— The number of the said posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.** No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Junior Technical Officer (Scientific) [Erstwhile post of Senior Scientific Assistant]	379* (2011) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable.
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)			(8)	(9)	
Not applicable			Not applicable	Not applicable	

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)	(11)
By promotion	<p><b>Promotion :</b> Scientific Assistant in the Pay Band 2, Rs.9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4200 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing Diploma in Engineering or Degree in Science from a recognized University.</p> <p><b>Note 1 :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p>

(12)	(13)
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director General Quality Assurance concerned —Chairman</li> <li>2. Joint Director from Administration Directorate —Member</li> <li>3. Director from the concerned Discipline —Member</li> <li>4. Director from Discipline other than the concerned Discipline —Member</li> <li>5. Deputy Director (Administration-10) —Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientific Assistant (Erstwhile post of Scientific Assistant Grade-II)	635* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200	Selection	<p>Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date</p>

	(6)		
		for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
(7)	(8)	(9)	
<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Bachelor's Degree in Science in relevant subject or Diploma in Engineering or Technology in relevant Discipline from a recognized University or equivalent; and</p> <p>(ii) Two years experience in the Quality Assurance of Armaments or Ammunition or Instrument or Explosives or Metallurgy or Mechanical Engineering or Automobile Engineering or Textile and Clothing or Pharmaceuticals or Chemicals or Petroleum Products or Paints Technology or Telecommunications or Power System or Electrical or Electronics or Computer Engineering.</p> <p><b>Note 1 :</b> The exact subject or discipline and area of experience shall be indicated at the time of each recruitment.</p> <p><b>Note 2 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 3 :</b> The qualification(s) regarding experience is are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years	
(10)		(11)	
By direct recruitment (Direct recruitment through Staff Selection Commission)		Not applicable	

(12)

(13)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of direct recruits) consisting of :—**

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Additional Director General Quality Assurance concerned                            | —Chairman |
| 2. Any Joint Director from Administration Directorate                                 | —Member   |
| 3. A Director or Joint Director from the Discipline concerned                         | —Member   |
| 4. Any Director or Joint Director from Discipline other than the concerned Discipline | —Member   |
| 5. Deputy Director (Administration-10)  | —Member   |

[F. No. A/86320/RR/Scientific/DGQA/Adm-10/2331/D(QA)/2011]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2011

**का.नि.आ. 70.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना समूह 'घ' (अनौऔद्योगिक) पद भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में सेना की निम्नतर विरचनाओं में समूह 'ग' (अनौऔद्योगिक) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना समूह 'ग' (अनौऔद्योगिक) भर्ती नियम, 2011 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **लागू होना :**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।